أحكام الحج والعمرة – اللغة الهندية

हज के मसाइल

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالزلفي

أحكام الحج والعمرة – اللغة الهندية

إعداد وترجمة : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الأولى : ٦ / ١٤٣٩

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٣٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

أحكام الحج – الهندية. / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي . - الزلفي ، ١٤٣٩ هـ

٤٨ ص ؛.. سم

ردمك: ٣-٩٥-٨٠١٣-٦٠٣-٩٧٨

١ – الحج أ.العنوان

ديوي ٢٥٢,٥ ٥٥٤٠ / ١٤٣٩

رقم الإيداع: ٥٥٤٠ / ١٤٣٩

ردمك: ٣-٩٥-٨٠١٣-٦٠٣-٩٧٨

हज के अहकाम

हज का हुक्म और उसकी श्रेष्ठता

हज हर मुसलमान मर्द व औरत पर उम्र में एक बार वाजिब है। यह इस्लाम के अर्कान में पांचवां रुक्न है। अल्लाह का इर्शाद है:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا

[آل عمران:٩٧]

"अल्लाह ने उन लोगों पर जो उसकी ओर राह पा सकते हों इस घर का हज फ़र्ज कर दिया है। (सूरह आले इमरान आयत 97)

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद हैः

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर हैः इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। (मुत्तफ़क़ अलैह 8, 16)

हज अल्लाह से करीब करने वाले श्रेष्ठ आमाल में से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद हैः

مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

जिसने अल्लाह के घर का हज किया और हज के दौरान गुनाह और फ़िस्क़ व फुजूर से बाज़ रहा तो वह गुनाहों से पाक व साफ होकर इस तरह वापस लौटा जैसे वह पैदाइश के दिन गुनाहों से पाक व साफ था। मुत्तफ़क़ अलैह 135 1819)

हज की शर्तें

हज की अदाएगी आक़िल व बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज है जबकि उसे हज करने की ताक़त भी हो, ताक़त से मुराद यह है कि उसके पास सवारी हो और सफ़र खर्च में से खाने पीने की चीज़ें और लिबास इतना उसके पास

हो कि वह हज के सफ़र पर निकलने के बाद से लेकर वापसी तक उस पर गुज़ारा कर सके। और सफ़र के ये खर्च उन खर्चों से अधिक हों जो घर के लोगों और दूसरे क़रीबी लोगों के नाते उस पर अनिवार्य है। ताक़त होने में रास्ते का ठीक ठाक होना भी शामिल है और उसका सेहत मन्द होना भी इसमें दाखिल है अर्थात वह किसी तरह की बीमारी या शरई मजबूरी का शिकार न हो जो हज की अदाएगी में रूकावट हो। औरतों के लिए इन शर्तों के अलावा उसके साथ महरम का होना भी शर्त है अर्थात औरत का पति या उसका कोई दूसरा महरम रिष्तेदार हज के सफ़र में उसके साथ हो।

यदि औरत इद्दत की हालत में है तो वह हज के लिए नहीं निकलेगी, इसलिए कि अल्लाह ने इद्दत गुज़ारने वाली औरत को घरों से निकलने के लिए मना किया है। जिस व्यक्ति के सामने इस तरह की कोई रुकावट हो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है।

हज के शिष्टाचार

1. हज करने वाला सफ़र हज पर निकलने से पहले हज व उमरा के अहकाम को अच्छी तरह समझ ले, चाहे पढ़कर हो या मसाइल मालूम करके हो।

2. सफ़र हज में अच्छे साथियों का साथ हासिल करने की कोशिश करे जो इस राह पर चलने में उसके लिए

मददगार हों बेहतर यह है कि उसे किसी दीनी आलिम या तालिबे इल्म का साथ हासिल हो।

3. हज से अल्लाह तआला की खुशनूदी और उसकी समीपता मक़्सद हो।

4. बेकार की बातों से जुबान की हिफ़ाज़त करे।

5. अधिकता से ज़िक्र और दुआ में लगा रहे।

6. लोगों की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करे।

7. हज के सफ़र पर निकलने वाली महिला जिस्म ढांपने और पर्दा की पाबन्दी करे और मर्दों के साथ टकराव से बचे।

8. हज करने वाले के ज़ेहन में हर समय यह बात रहे कि वह इबादत की हालत में है न कि सैर सपाटे की हालत में। कुछ हज करने वालों (अल्लाह उन्हें हिदायत दे) को देखा गया है कि वे हज को सैर सपाटे का मौक़ा समझ लेते हैं और हज के दौरान बेकार के सांसारिक कामों में लगे रहते हैं जैसे कैमरे या मोबाइल से तस्वीरें खींचना या वीडियो ग्राफ़ी करना आदि।

एहराम

हज के कामों में दाखिल होने से पहले नीयत करने का नाम एहराम है हज व उमरा का इरादा करने वालों के लिए एहराम वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए मक्का से बाहर से आने वालों के

लिए जो मवाक़ीत तै कर दिए हैं वहां से हज या उमरा का इरादा करने वाला अहराम बांधेगा। मक्का से बाहर विभिन्न सिम्तों में निम्न मक़ामात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीक़ात क़रार दिया है।

1. जुलहुलैफ़ाः यह मदीना के पास है एक छोटी सी बसती है जिसे इस ज़माने में अबयार अली कहा जाता है। यह मदीना वालों की मीक़ात है।

2. जुहफ़ाः यह राबिग के पास एक छोटी सी बस्ती है। आजकल लोग मक़ाम राबिग़ से अहराम बांधते हैं, यह शाम वालों की मीक़ात है।

3. क़र्नुल मनाज़िलः यह जगह ताइफ के पास है। यह नजद वालों की

मीक़ात है। इसी तरह ताइफ़ में वादी महरम भी मीक़ात है।

4. यलमलमः यह जगह मक्का से 90 किलो मीटर की दूरी पर है। यह यमन वालों की मीक़ात है।

5. ज़ाते इर्क़ः यह इराक़ वालों की मीक़ात है।

ये मवाक़ीत उन लोगों के लिए हैं जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया और जो लोग भी हज या उमरा के इरादे से इन मक़ामात से गुज़रेंगे उनके लिए भी ये मीक़ात हैं। जो लोग मक्का में रह रहे हैं या जो लोग हरम की हुदूद से बाहर हिल के इलाक़े में रहते हैं वे हज के लिए अपने घरों से एहराम बांधेंगे।

एहराम से पहले इन कामों को अंजाम देना मसनून है

1. नाखुन काटना, बग़ल के बाल साफ़ करना, मूंछें काटना, नाफ़ के नीचे के बालों को साफ़ करना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना खुश्बू केवल जिस्म पर लगाई जाएगी, कपड़े पर नहीं लगाई जाएगी।

2. मर्द सिले हुए कपड़े उतार देंगे और इज़ार (तहबन्द) और चादर पहन लेंगे। औरत जिस्म को ढांपते हुए हर तरह का लिबास इस्तेमाल करेगी जिससे उसकी ज़ेबो जीनत ग़ैर मर्दों के सामने ज़ाहिर न हो। अजनबी मर्दों के सामने चेहरा और हथेलियों को छुपाने की कोशिश करेगी लेकिन मुस्तकिल तौर

पर दस्ताने पहनने या चेहरों पर नक़ाब डालने से परहेज़ करेगी।

3. यदि नमाज़ का समय हो तो मस्जिद में जाकर जमाअत के साथ नमाज़ अदा करे। यदि फ़र्ज़ नमाज़ का समय न हो तो दो रकआत सुन्नत वुज़ु पढ़ने के बाद अहराम बांध ले।

हज की क़िस्में

हज की तीन क़िस्में हैं.

1. हज्जे तमत्तोअ: अर्थात हज का इरादा रखने वाला हज के महीने में केवल उमरा का एहराम बांधे और उमरा करके फिर आठवीं ज़िल हिज्जा को अपने ठहरने की जगह से हज का एहराम बांधेगा लेकिन हज्जे तमत्तोअ करने वाला मीक़ात के मक़ाम से इस

तरह लब्बैक कहेगा ''लब्बैक उमरतन व हज्जन

(ऐ अल्लाह मैं उमरा व हज के लिए हाज़िर हूं।) हज कि इस किस्म मे एक कुर्बानी का जानवर जरुरी है यदी गाय या उँट हों तो उस मे सात आदमी शामिल हो सक्ते हैं

2. हज किरानः इसकी सूरत यह होगी की उमरा व हज करने वाला यौमुन्नहर (दसवीं ज़िल हिज्जा) तक निरंतर एहराम की हालत में रहे। यह हज आम तौर पर वे लोग करते हैं जो हज के असल दिन शुरु होने से बस कुछ वक्त पहले मक्का पहुंचते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे उमरा करके हलाल हो जाएं फिर हज का समय आए तो दोबारा एहराम बांधें

या फिर वे लोग हज क़िरान करते हैं जो कुर्बानी का जानवर अपने साथ लेकर आए हों। हज की इस क़िस्म में भी एक कुर्बानी लाज़िम होती है।

3. हज इफ़रादः यह है कि कोई व्यक्ति केवल हज करने की नीयत करे और मीक़ात से एहराम बांध कर लब्बैक हज्जन ऐ अल्लाह! मैं हज के लिए हाज़िर हूं कहे। हज की इस किस्म में कुर्बानी लाज़िम नहीं है।

जब कोई व्यक्ति हवाई सफर कर रहा हो तो उसके लिए मीक़ात के क़रीब पहुंच कर एहराम बांधना वाजिब है। यदि उसके लिए मीक़ात की जगह का पता लगाना मुश्किल हो तो मीक़ात के आस पास पहुंचने से पहले ही एहराम बांध लेगा और एहराम के लिए ज़रूरी

तमाम कामों को पहले ही अंजाम दे लेगा, जैसे सफ़ाई सुथराई खुश्बू का इस्तेमाल, नाखून तराशना, वह चाहे तो हवाई जहाज़ में बैठने से पहले एहराम के कपड़े पहन ले या फिर हवाई जहाज़ में बैठने के बाद मीक़ात या उसके आस पास पहुंचने से पहले एहराम के कपड़े पहन कर एहराम की नीयत कर ले।

एहराम का तरीक़ा

एहराम का तरीक़ा यह हैः

क. यदि हज करने वाला हज्जे तमत्तोअ़ का इरादा रखता है तो ''लब्बैक उमरतन मुतमत्तअन बिहा इलल हज ऐ अल्लाह! मैं उमरे के लिए हाज़िर हूं और इसके हज करुंगा कहे।

ख. यदि हज क़िरान का इरादा रखता है तो ''लब्बैक उमरतन व हज्जन ऐ अल्लाह! मैं उमरा व हज दोनों के लिए हाज़िर हूं कहे।

ग. यदि वह हज इफ़राद की नीयत रखता है तो ''लब्बैक हज्जन ऐ अल्लाह! मैं हज के लिए हाज़िर हूं कहे।

एहराम बांध लेने के बाद अल्लाह के घर का तवाफ़ शुरु करने तक तलबिया के कलिमात को दोहराते रहना सुन्नत है। तलबिया के कलिमात यह हैं

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक

एहराम के मनाफ़ी कामः एहराम से पहले जो चीज़ें उसके लिए जायज़ थीं अब एहराम बांधने के बाद उसके लिए हराम हो गयीं, इस लिए कि वह इबादत की हालत में दाखिल हो गया, अतः उसके लिए नीचे दी गयी चीज़ें हराम हो गयीं।

क. सर और जिस्म के अन्य हिस्सों के बालों को साफ़ करना। ज़रूरत हो तो धीरे से सर खुजलाने में कोई हरज नहीं है।

ख. नाखून तराशना, लेकिन यदि कोई नाखून टूट जाए और तकलीफ का

सबब बन जाए तो उसे जिस्म से अलग करने में कोई हरज नहीं है।

ग. खुशबू का इस्तेमाल एहराम की हालत में खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता।

घ. मुबाशिरत और उसके निकट के काम जैसे निकाह करना, वासना की निगाह से देखना, मेलजोल और बोसा लेना आदि।

ड. दस्ताने पहनना।

च. शिकार करना।

एहराम की हालत में ये काम मर्द व औरत दोनों के लिए हराम हैं।

मर्दों के लिए ये चीज़ें भी हराम हैं:

1. सिले हुए कपड़े पहनना, लेकिन मुहरिम ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है जैसे घड़ी और चश्मा और इसी तरह की चीज़ें।

2. किसी ऐसी चीज से सर को ढांपना जो बदन से लगी हो। यदि वह चीज़ जिस्म से लगी न हो तो सर के ऊपर उसके रखने में कोई हरज नहीं है। जैसे छतरी, कार आदि।

3. पांव में मोज़े पहनना . यदि जूतियां न हों तो खुफ़ (चमड़े के मोज़े) पहन सकता है।

जिसने इन वर्जित चीज़ों में से किसी का इस्तेमाल किया उसकी तीन हालतें संभव हो सकती हैं।

1. या तो उसने बिना शरई मजबूरी के इनमें से किसी काम को किया होगा, ऐसी सूरत में वह गुनाहगार होगा, उस पर फ़िदया वाजिब है।

2. या तो उसने ज़रूरत के तहत इस तरह का कोई काम किया होगा, तो फिर वह गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन उस पर फ़िदया वाजिब होगा।

3. या फिर वह इस तरह का कोई अमल करने में मजबूर होगा अर्थात न जानने के कारण, या भूल कर किया होगा या उसे किसी ने ज़बर दस्ती कराया होगा तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है और न उस पर फ़िदया वाजिब है।

तवाफ़

मस्जिदे हराम के पास पहुंच कर मस्जिद में दाखिल होने के लिए दाएं पांव को आगे रखना और यह दुआ पढ़ना सुन्नत है।

बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्ला हुम्मग़फ़िरली जुनूबी वफ़तह ली अबवाब रहमतिक

यानी "अल्लाह के नाम से शुरु करता हूं अल्लाह के रसूल पर रहमत व सलामती हो ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे

यह हुक्म तमाम मस्जिदों में दाखिल होने के लिए है। मस्जिदे हराम में दाखिल होने के बाद तवाफ़ के लिए

सीधे बैतुल्लाह (खाना काबा) की तरफ़ चले जाए।

तवाफ़: इससे मुराद अल्लाह की इबादत की नीयत से खाना काबा के चारों ओर सात बार चक्कर लगाना है। तवाफ़ करने वाले के लिए वुज़ू से होना वाजिब है। खाना काबा को अपने बायीं तरफ़ रख कर हजरे असवद के पास से तवाफ़ शुरु किया जाएगा और वहीं पहुंचकर तवाफ़ खत्म होगा।

तवाफ़ करने का तरीक़ा

1. पहले हजरे असवद के पास जाकर उसे बोसा दे और बिस्मिल्लाह वल्लाहु अक्बर कहे। यदि संभव हो तो हजरे असवद को अपने दाएं हाथ से छूकर हाथ को बोसा देगा।यदि यह भी संभव

न हो तो हजरे असवद के सामने होकर अपने दाएं हाथ से उसकी ओर इशारा करेगा और अल्लाहु अक्बर कहेगा लेकिन अपने हाथ को बोसा नहीं देगा। फिर काबा को अपनी बायीं तरफ रख कर तवाफ़ शुरु करेगा। तवाफ़ के दौरान अल्लाह से जो चाहे दुआ करता रहे या कुरआन की तिलावत करता रहे। हज करने वाला तवाफ़ के दौरान अपने लिए और अपने जानने वालों के लिए भलाई की जो दुआ कर सकता है करे और अपनी ज़बान में अपने पालनहार से दुआ मांग सकता है। तवाफ़ के दौरान की कोई खास दुआ नहीं है।

1. तवाफ़ करते हुए जब रुक्ने यमानी के पास पहुंचे तो यदि संभव हो तो

दाएं हाथ से उस रुकने यमानी को छुए और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर कहे लेकिन अपने हाथ को बोसा न दे और यदि रुकने यमानी को हाथ से छूना संभव न हो तवाफ़ करते हुए आगे बढ़ता रहे और अपने हाथ से रुकने यमानी की ओर ना इशारा करे और ना अल्लाहु अक्बर कहे। बल्कि रुकने यमानी और हजरे असवद के बीच यह दुआ पढ़ेः

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:٢٠١]

"रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतंव वफ़िल आखिरति हसनतवं वक़िना अजाबन्नार यानी "ऐ अल्लाह! तू

दुनिया व आखिरत में भलाई प्रदान कर और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा

3. जब तवाफ़ करते हुए हजरे असवद के पास पहुंचे तो हो सके तो हाथ से उसे छुए और यदि यह न हो सके तो हाथ से उसकी ओर इशारा करे और अल्लाहु अक्बर कहे।

इस प्रकार उसने तवाफ़ का एक चक्कर पूरा किया।

4. तवाफ़ के बाक़ी चक्करों को भी वह इसी तरह से पूरा करेगा। हर बार हजरे असवद के पास से गुज़रते हुए अल्लाहु अक्बर कहेगा और इसी तरह सातवें चक्कर के खात्में पर भी अल्लाहु अक्बर कहेगा। तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में रमल करना भी मसनून है

और बाक़ी चक्करों में आम तरीक़े के मुताबिक़ चलेगा। रमल एक खास अन्दाज़ की चाल है जिसमें क़रीब क़रीब क़दम रखते हुए तेज़ी के साथ चला जाता है। पहली बार तवाफ़ करने वाले के लिए इन तमाम चक्करों में इज्तिबाअ़ भी मसनून है और इज्तिबाअ़ यह है कि चादर को दाएं मूंढे के नीचे रखकर चादर के दोनों किनारों को बायीं कंधे पर डाल दिया जाए। रमल और इज्तिबाअ़ उन हाजियों और उमरा करने वालों के लिए है जो मक्का पहुंचकर पहली बार तवाफ़ करते हैं अर्थात हज और उमरा करने वाले लोग जब भी मक्का पहुंचेंगे वो अपने पहले तवाफ़ में रमल व इज्तिबाअ़ करेंगे, यह सुन्नत है।

तवाफ़ के बाद मक़ामे इबराहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, इस तरह कि मक़ामे इबराहीम उसके और काबा के बीच में हो। नमाज़ से पहले अपनी चादर को अपने कन्धे पर डाल कर उसके किनारे को सीने पर रख लेगा। पहली रकअत में सूरह फ़ातिहा और सूरह काफ़िरून और दूसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इख़्लास पढ़ेगा। यदि भीड़ की वजह से मक़ामे इबराहीम के पीछे नमाज़ पढ़ना संभव न हो तो मस्जिदे हराम में कहीं पर भी ये दो रकअत नमाज़ अदा कर सकता है।

सअ़ी

इसके बाद सअ़ी करने की जगह का रुख करेगा और पहले सफ़ा पहाड़ी

की ओर जाएगा। सफ़ा के निकट पहुंचकर यह आयत तिलावत करेगाः

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]

''इन्नस्सफ़ा वलमरवता मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैता अ विअतमर फ़ला जुनाहा अलैहि अयं यत्तव्व फ़ बिहिमा व मन ततव्व अ ख़ैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम (सूरह अल बक़रा आयत 158)

यानी ''सफ़ा व मरवह अल्लाह की निशानियों में से हैं इस लिए बैतुल्लाह का हज व उमरा करने वाले पर उनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह

नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह क़दर दान है और उन्हें खूब जानने वाला है। सई करने के लिए पहले सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ेगा यहां तक कि उसे काबा नज़र आने लगे, फिर वह काबा की ओर रुख़ करेगा, अपने दोनों हाथों को उठाएगा, अल्लाह की प्रशंसा बयान करेगा, और जो चाहे दुआएं करेगा। फिर ये कलिमात अपनी ज़बान से अदा करेगाः

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी

व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ा वाअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु

यानि ''अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं, उसकी हुकूमत है उसी के लिए हर तरह की प्रशंसा है। वही मारता है, वही ज़िन्दा करता है वही हर चीज़ पर क़ादिर है, अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, वह अकेला है उसने अपना वाअदा पूरा कर दिया, उसने अपने बन्दे की मदद की और दुश्मनों की जमाअतों को अकेला पराजय से दोचार किया

फिर वह देर तक दुआ में व्यस्त रहेगा और इसी अमल को तीन बार दोहराएगा।

उसके बाद वह चलते हुए मर्वह की पहाड़ी की ओर जाएगा। सब्ज़ निशान के पास पहुंच कर मर्दों के लिए ताक़त भर तेज चलना मसनून है, यहां तक कि वह दूसरे निशान के पास पहुंच जाए। शर्त यह है कि उसके तेज़ चलने से किसी को तकलीफ न हो (तेज़ चलना मर्दों के साथ खास है। यह हुक्म औरतों के लिए नहीं है) मर्वह पहाड़ी पर पहुंचकर ऊपर चढ़ जाए। क़िब्ला की ओर रुख़ कर ले, दोनों हाथों को उठाए, वही कुछ पढ़े जो उसने सफ़ा पहाड़ी पर पढ़ा है। इस प्रकार उसने सअी का एक चक्कर पूरा

कर लिया। दुआ के बाद वह मर्वह पहाड़ी से उतर कर सफ़ा का रुख़ करेगा और पहले चक्कर में जो कुछ किया है उसी अमल को अंजाम देगा। सअी के दौरान अधिकता से दुआ करना मसनून है।

यदि हज करने वाला तमत्तोअ़ कर रहा हो तो वह सअी से निमटने के बाद सर के बाल साफ़ करा के उमरा से फ़ारिग़ हो जाएगा, अपने मामूल के कपड़े पहन लेगा और एहराम की हालत से बाहर आ जाएगा। आठवीं ज़िल हिज्जा के दिन वह ज़ोहर की नमाज़ से पहले अपने निवास स्थल से हज के लिए एहराम बांधेगा और हर उस अमल को दोहराएगा जो उसने उमरा का एहराम बांधते समय अंजाम

दिया था। फिर हज की नीयत करते हुए ये कलिमात अदा करेगा

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

लब्बैक हज्जन, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेअमत लक वल मुल्कु ला शरीक लक यानी ''ऐ अल्लाह! मैं हज के लिए हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई साझी नहीं है मैं हाजिर हूं, बेशक प्रशंसा, नेमतें और हुकूमत तेरी ही है तेरा कोई साझी नहीं है

इसके बाद ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और फ़जर की नमाज़ें मिना मे क़स्र अदा करेगा।

ज़िल हिज्जा की आठवीं तारीख़ के आमाल

इस दिन हज करने वाले लोग मिना पहुंचते हैं और वहां ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ें अदा करते हैं। इन में से जो नमाज़ चार रकआत की हैं उन्हें क़स्र करके दो रकआत पढ़ते हैं।

ज़िल हिज्जा की नवीं तारीख़ (यौमे अरफ़ा)

इस दिन हाजियों के लिए नीचे दिए गए आमाल मशरूअ हैं:

1. सूरज निकलने के बाद हाजी मक़ामे अरफ़ा पहुंचते हैं और सूरज डूबने तक वहीं रहते हैं। वहां मैदाने अरफा में ज़वाले आफ़ताब के बाद ज़ोहर व अस्र

की नमाजें एक साथ क़स्र करके पढ़ते हैं फिर नमाज़ अदा करने के बाद जिक्र, दुआ व तलबिया पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। क़यामे अरफ़ा के दौरान अधिकता से दुआ करना और अल्लाह के सामने रोना गिड़ गिड़ाना मसनून है। इस दौरान अपने लिए और मुसलमानों के लिए अल्लाह से खैर व भलाई की दुआ करनी चाहिए। यहां पर दुआ के समय हाथ उठाना मुसतहब है। वकूफ़े अरफा हज का एक अहम रुक्न है जिसने अरफ़ा में वकूफ़ नहीं किया उसका हज नहीं हुआ। अरफ़ा में वकूफ़ का समय नवीं ज़िल हिज्जा को सूरज उदय हाने से लेकर दसवीं ज़िल हिज्जा की सुबह सादिक़ तक है। जिसने इस मुद्दत के दौरान दिन में या रात में किसी भी समय कुछ देर तक

अरफ़ा में क़याम किया उसका हज मुकम्मल हो गया। हज करने वाले के लिए इस बात का यक़ीन हासिल कर लेना ज़रूरी है कि वह वक़ूफ़ के समय अरफ़ा की सीमा में दाखिल था।

2. यौमे अरफ़ा को सूरज डूब जाने के बाद हाजी दिल के सकून, वक़ार और ताज़ा दम के साथ मुज़दलफ़ा के लिए चलेंगे और रास्ते में ऊंची आवाज़ से तलबिया पढ़ते रहेंगे।

मुज़दलफ़ा में: मुज़दलफ़ा पहुंचने के बाद हर काम से पहले मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ जमा करके पढ़ेंगे। इशा की नमाज़ दो रकअत क़स्र अदा की जाएगी। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद ही लोग खाने का आयोजन करने या किसी अन्य ज़रूरी

काम में लग जाएंगे। इस रात को खाने आदि से निकल कर जल्द ही सोना बेहतर है ताकि फ़ज्र की नमाज़ के लिए चुस्त फुर्त होकर जाग सकें।

ज़िल हिज्जा की दसवीं तारीख़ (ईद का दिन)

1. फ़ज्र की नमाज़ समय पर अदा करे, फिर अपनी जगह पर बैठा रहे। अधिकता के साथ ज़िक्र व दुआ में व्यस्त रहे, यहां तक कि खूब अच्छी तरह उजाला फैल जाए।

2. चने के बराबर सात छोटी कंकरियां ले ले और सूरज उदय होने से पहले तलबिया पढ़ते हुए मिना की तरफ़ जाए।

3. निरंतर तलबिया पढ़ता रहे, यहां तक कि जमरा उक़बा (बड़े शैतान) के

पास पहुंच जाए। जमरा उक़बा पर एक एक करके सातों कंकरियां मारे और हर बार अल्लाहु अक्बर कहे।

4. कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करे, चाहे व मुतमत्तोअ हो या क़िरान उसके लिए मुसतहब यह है कि वह उस कुर्बानी के गोश्त को स्वयं खाए, दोस्तों को तोहफ़ा के तौर पर दे और सदक़ा करे।

5. कुर्बानी करने के बाद या तो पूरे सर के बाल साफ़ करा दे या पूरे सर के बाल छोटे करा दे। सर के बाल साफ़ करा देना अफ़ज़ल है औरतें हर चोटी से एक उंगली के बराबर बाल छोटा करा लें।

इसके बाद एहराम की वजह से लगी कुछ पाबन्दियां खत्म हो जाएंगी, जैसे लिबास, खुश्बू, नाखून तराशने और जिस्म के बाल साफ़ करने या काटने की पाबन्दी, अलबत्ता निकाह और मुबाशरत पर पाबन्दी बराबर रहेगी, यहां तक कि वह बैतुल्लाह के तवाफ़ से फ़ारिग़ हो जाए। उसके बाद उसके लिए गुस्ल, सफ़ाई सुथराई, खुश्बू का इस्तेमाल और अपनी सुविधा के कपड़े पहनना मुसतहब है।

6. उसके बाद हज के तवाफ़ (तवाफ़े इज़ाफ़ा) की अदाएगी के लिए मस्जिद हराम जाएगा। वहां काबा का सात बार तवाफ़ करेगा और तवाफ़ के बाद दो रकअत नमाज़ अदा करेगा। फिर यदि वह हज तमत्तोअ करने वाला है तो

तवाफ़ के बाद सअी के मक़ाम पर जाएगा और सफ़ा व मर्वह के बीच सात बार सअी भी करेगा।

और यदि वह हज क़िरान करने वाला है या केवल हज करने वाला है तो वह दो बार सअी नहीं करेगा इसलिए कि उसने पहली बार के तवाफ़ (तवाफ़े कुदूम) के साथ सअी कर ली है अतः अब दो बारा उसके लिए सअी ज़रूरी नहीं है इसलिए कि उसने पहली बार जो सअी की वही हज की सअी थी। लेकिन यदि उसने पहली बार के तवाफ़ के बाद सअी नहीं की है तो उसके लिए सअी अनिवार्य है।

इस सअी के बाद एहराम की वजह से लगी सारी पाबन्दियां खत्म हो जाएंगी। अब उसके लिए हर चीज़ हलाल हो

जाएगी जो एहराम की वजह से हराम हो गयी थी।

7. हाजी के लिए ग्यारहवीं ज़िल हिज्जा, बारहवीं ज़िल हिज्जा और जो देरी से वापसी का इरादा रखता हो, उसके लिए तेरहवीं ज़िल हिज्जा की रात मिना में गुजारना ज़रूरी है, मिना में रात गुजारने का मतलब यह है कि हज करने वाला रात का अधिकांश हिस्सा मिना में गुज़ारे।

हज के आमाल में तर्तीब बतायी गयी है कि पहले रमी करेगा फिर कुर्बानी करेगा, फिर बाल साफ़ कराएगा, फिर तवाफ़ करेगा। इस तर्तीब से इन आमाल को अंजाम देना सुन्नत है। यदि उसने इन में से एक को दूसरे पर

मुक़द्दम कर दिया तब भी कोई हरज नहीं है।

ग्यारहवीं ज़िल हिज्जा: इस दिन हाजी के लिए जमरा पर कंकरियां मारना ज़रूरी है। कंकरियां मारने का अमल सूरज के ज़वाल के बाद शुरु होगा। उस दिन ज़वाल से पहले कंकरियां मारना जायज़ नहीं है। यह सिलसिला अगले दिन के सुबह सादिक़ तक चलता रहेगा। सबसे पहले जमरा सुग़रा (छोटे शैतान) पर कंकरियां मारेगा, फिर जमरा वुसता (बीच के शैतान) पर, उसके बाद जमरा कुबरा (बड़े शैतान) पर कंकरियां मारेगा। यह अमल ज़वाल आफ़ताब के बाद किसी भी समय अंजाम दिया जा सकता है।

कंकरियां मारने का तरीक़ा यह है कि:

1. पहले छोटी छोटी इक्कीस कंकरियां ले ले, फिर छोटे जमरा के पास जाकर सात कंकरियां मारे, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे। कोशिश करे कि कंकरियां हौज़ में गिरें। कंकरियां एक एक करके मारी जाएं। यहां कंकरियां मारने के बाद सुन्नत यह है कि दायीं ओर हट कर ठहर जाएं और देर तक दुआ करें।

2. उसके बाद बीच के शैतान के पास जाए और वहां पर एक एक करके सात कंकरियां मारे हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे उसके बाद सुन्नत यह है कि बायीं ओर हट कर ठहर जाए और देर तक दुआ करे।

3. फिर बड़े शैतान के पास जाए और वहां भी सात कंकरियां मारे। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे। फिर वहां ठहरे बिना आगे बढ़ जाए।

बारहवीं ज़िल हिज्जाः

1. हाजी ने जो कुछ अमल 11वीं जिल हिज्जा को किया है उसी को 12वीं तारीख़ को भी दोहराएगा। यदि हाजी देर से वापसी का इरादा रखता है और तेरहवीं ज़िल हिज्जा को भी वहां क़याम करता है जो कि अफ़ज़ल भी है तो वह तेरहवीं तारीख़ को भी वे तमाम आमाल को दोहराएगा जो उसने 11वीं और 12वीं तारीख़ को किया है।

2. बारहवीं और तेरहवीं को रमी से फ़ारिग़ हो जाने के बाद हाजी

बैतुल्लाह के विदाई तवाफ़ (तवाफ़े रुखसत) के लिए जाएगा और ख़ाना काबा के सात बार चक्कर लगाएगा। उसके बाद सुन्नत यह है कि यदि संभव हो तो मक़ामे इबराहीम के पीछे वर्ना मस्जिदे हराम में जहां जगह मिले वहां दो रकआत नमाज़ अदा करे। हैज़ व निफ़ास वाली औरत पर यह तवाफे रुख़सत नही है।

हाजियों के लिए तवाफ़े इज़ाफ़ा बारहवीं या तेरहवीं तारीख तक टालना जायज है। ऐसी सूरत में बारहवीं या तेरहवीं तारीख़ को तवाफ़े इफ़ाजा ही उनके लिए काफी होगा। इसके बाद अलग से तवाफ़े विदाअ की ज़रूरत नहीं होगी। यदि उसने आज के दिन तक तवाफ़े इफ़ाजा को टाला है तो यह

उसके लिए जायज़ है। फिर तवाफ़े इफ़ाजा की नीयत करके आखिरी तवाफ़ करेगा। तवाफ़ विदाअ की नीयत नहीं करेगा।

3. इसके बाद हाजी के लिए ज़रूरी है कि वह दूसरी चीज़ों में व्यस्त न हो बल्कि वह जिक्र, दुआ और अच्छी बातों को सुनने में समय लगाते हुए मक्का से निकल जाए।

इसी तवाफ़ के बाद थोडें समय के क़याम में कोई हरज नहीं है जिसमें वह अपने साथियों का इन्तिजार कर सकता है, दूसरे ज़रूरी कामों को अंजाम दे सकता है और रास्ते के लिए ज़रूरी सामान खरीद सकता है।

हज के अर्कान

हज के चार अर्कान हैं:

1. एहराम बांधना
2. मैदाने अरफ़ा में वक़ूफ़ करना
3. तवाफ़े इफ़ाज़ा (ईद के दिन का तवाफ)
4. सफ़ा व मर्वह के बीच की सअी

यदि किसी ने इनमें से एक रुक्न को भी छोड़ दिया तो उस का हज अदा नहीं होगा।

हज के वाजिबात

1. मीक़ात से अहराम बांधना

2. अरफ़ा में दिन भर वक़ूफ़ करने वाले के लिए सूरज डूब जाने तक वक़ूफ़ करना

3. मुज़दलफा में फ़ज्र के समय तक रात गुज़ारना, यहां तक कि अच्छी तरह उजाला फैल जाए। कमज़ोर लोगों, औरतों के लिए जायज़ है कि वे आधी रात के बाद मुजदलफ़ा से वापस हो सकते हैं।

4. तशरीक़ की रातों में मिना में रात गुज़ारना।

5. अय्यामे तशरीक़ में रमी जमार करना (कंकरियां मारना)

6. सर के बाल साफ़ कराना या बाल छोटे कराना।

7. तवाफ़े विदाअ करना।

यदि किसी ने इन वाजिबाते हज में से किसी एक को छोड़ दिया तो उस पर दम देना वाजिब है। इसके लिए वे

या तो एक बकरी ज़बह करे या गाय या ऊंट में से एक हिस्सा ले और गोश्त को हरम के फ़क़ीरों को बांट दे।

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत

नमाज़ पढ़ने की नीयत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत मुसतहब है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि मस्जिदे नबवी में अदा की गयी एक नमाज़ मस्जिद हराम के अलावा अन्य मस्जिदों में अदा की गयी एक हजार नमाज़ों से अफ़ज़ल है। साल में किसी भी समय मस्जिदे नबवी की ज़ियारत मशरूअ है। इसके लिए कोई खास समय मुक़र्रर नहीं है और न ही मस्जिदे नबवी की ज़ियारत हज का हिस्सा है। एक

मुसलमान के लिए यह मुसतहब है कि वह मस्जिदे नबवी में क़याम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों सहाबा अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु व उमर रजियल्लाहु अन्हु की क़ब्रों की ज़ियारत करता रहे। क़ब्रों की यह ज़ियारत केवल मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। क़ब्रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले के लिए हुजरा–ए–नबवी की किसी चीज़ को छूना या उसका तवाफ़ करना या दुआ के समय उसकी ओर रुख़ करना जायज़ नहीं है।